"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 जुलाई 2014—श्रावण 1, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व अधिसूचित नगरपालिका परिषद्, धमतरी के स्थान पर नगर पालिक निगम, धमतरी का गठन निम्न अनुसूची के अनुसार करता है :-

अनुसूची—1

नगर पालिक निगम, धमतरी का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	नगर पालिक निगम का नाम (2)	जिला (3)
1.	धमतरी	धमतरी

अनुसूची—2

नगर पालिक निगम, धमतरी की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगर पालिका धमतरी की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, धमतरी की सीमाएं होंगी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-11/2014/18. — In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby constitute Municipal Corporation Dhamtari, in place of Municipal Council Dhamtari as given in the following Schedule :-

SCHEDULE—1

S. No. (1)	Name of Municipal Corporation (2)	District (3)
1.	Dhamtari	Dhamtari

SCHEDULE—2

The boundries of the Municipal Corporation, Dhamtari is as below :-

The boundaries of existing Municipal Council Dhamtari shall be the boundries of Municipal Corporation, Dhamtari.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-11/2014/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 7 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा पूर्व अधिसूचित नगरपालिका परिषद्, बीरगांव के स्थान पर नगर पालिक निगम, बीरगांव का गठन निम्न अनुसूची के अनुसार करता है :-

अनुसूची—1

नगर पालिक निगम, बीरगांव का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	नगर पालिक निगम का नाम (2)	जिला (3)
1.	बीरगांव	रायपुर

अनुसूची—2

नगर पालिक निगम, बीरगांव की सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

नगरपालिका परिषद्, बीरगांव की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, बीरगांव की सीमाएं होंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक एफ 1-11/2014/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11/2014/18 दिनांक 22-07-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd July 2014

NOTIFICATION

No. F 1-11/2014/18. — In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby constitute Municipal Corporation, Birgaon, in place of Municipal Council, Birgaon as given in the following Schedule :-

SCHEDULE—1

S. No. (1)	Name of Municipal Corporation (2)	District (3)
1.	Birgaon	Raipur

SCHEDULE—2

The boundries of the Municipal Corporation, Birgaon is as below :-

The boundaries of existing Municipal Council, Birgaon shall be the boundries of Municipal Corporation, Birgaon.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. M. MINJ, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.